पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

2453 अका. / का.प. / 2005 रायपुर, दिनांक : 29-2005

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपतिक बैठक शनिवार, दिनांक 24.09.2005 को अपरान्ह 3.00 बजे ...ालय प्रशासनिक भवन के कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

...ॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
...ॉ ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	सदस्य
...ॉ एम.ए.खान	सदस्य
...ॉ.हर्षवर्धन तिवारी	सदस्य
...ॉ विभूति राय	सदस्य
...ॉ एम.आर.झाड़े	सदस्य
...ॉ डी.डी.वर्मा	सदस्य
...ॉ ए.के.बंसल	सदस्य
...ॉ सुश्री हेमलता महोबे	सदस्य
...ॉ जी.डी.साव	सदस्य
...श्री रमेश नैयर	सदस्य
...ॉ सुश्री रुक्मणी शिर्के	सदस्य
...श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	सचिव

...वृत्त -

दूरस्थ शिक्षा के लिये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (डिस्टेंट एजुकेशन कौंसिल) के पत्र क्रमांक एफ/डीईसी/२ दिनांक १२.९.२००५ के संदर्भ में विचार करना तथा परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में विचार करना।

...रस्थ शिक्षा संस्थान के माध्यम से वर्ष २००५ की वार्षिक परीक्षा के अन्तर्गत् ८ केंद्रों पर आयोजित परीक्षा ...े लिय मूल्यांकनकर्त्ताओं से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार किया गया एवं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ...ूल्यांकनकर्त्ताओं के प्रतिवेदन के आधार पर दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत घोषित ८ परीक्षा केंद्रों में आयोजित ...रीक्षा के अधिकांश प्रश्नपत्रों की परीक्षा में सामूहिक नकल होना पाया गया। अतः सभी केंद्रों की परीक्षा ...िरस्त करने हेतु अनुमोदन किया गया।

...ंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (डिस्टेंट एजुकेशन कौंसिल) के पत्र दिनांक १२.९.२००५ के संदर्भ ...ं दूरवर्ती शिक्षा के लिये स्थापित केंद्रों के सम्बन्ध में विचार किया गया। इस पत्र से स्पष्ट है कि दूरस्थ ...िक्षा के अध्ययन केंद्रों की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर शासन की अनुमति से किया जा सकता है ...था राज्य के बाहर अध्ययन केंद्र हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद का अनुमोदन आवश्यक है। अतः सर्वसम्मति से ...िर्णय लिया गयां कि चूंकि अभी तक दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति प्राप्त होना शेष है तथा छत्तीसगढ़ ...ासन द्वारा दूरवर्ती शिक्षा के लिये पं.सुन्दरलाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर की स्थापना हो चुकी है ...सलिये समस्त अध्ययन केंद्रों को वर्ष २००५-२००६ के लिये प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जावे। सभी ...ध्ययन केंद्रों द्वारा जमा की गई फीस में से वापसी योग्य फीस वापस किया जावे। संचालक दूरस्थ शिक्षा

द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वापसी योग्य शुल्क कारपस शुल्क तथा कोर्स परिवर्तन शुल्क की कुल राशि रुपये १८,२०,८००/- के भुगतान की राशि स्वीकृत की जाती है।

दूरस्थ शिक्षा के प्रकरण पर ऐसी स्थिति जिससे विश्वविद्यालय की विश्वसनीयता एवं छवि धूमिल हो रही है, के लिये कौन जिम्मेदार है। इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रारंभ से लेकर वर्तमान स्थिति तक की कार्यवाही एवं जांच हेतु एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जावे। जांच समिति के नाम निर्देशन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया जाता है।

कुलसचिव

क्रमांक D/1144 अका. / का.प. / 2005 रायपुर, दिनांक : 28 .2005

प्रति,

महामहिम कुलाधिपति के सचिव, राजभवन छत्तीसगढ़, रायपुर ।
कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को ।
वित्ताधिकारी,
आवासीय अंकेक्षक,
कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव